न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 89/2015

श्री जेठमल पुत्र श्री मोहनलाल, जाति नाई, निवासी ग्राम चाचियावास, तहसील व जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर।

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1– श्री मदनपुरी गोस्वामी, वकील प्रार्थी की ओर से।

2– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक।

आदेश

दिनांक – 23.03.2026

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 15.09.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम चाचियावास स्थित विवादित आराजी पर लगभम 30 वर्षो से काबिज काश्त होने एवं भूमिहीन कृषक होने का कथन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य को आवंटन/नियमन करने, भूमि की किस्म एवं शक्त परिवर्तित करने से अप्रार्थी, उसके अधिकारी व कर्मचारीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पावन्द किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 22.06.2016 को कैम्प कोर्ट अरड़का में कैम्प चाचियावास के फॉलो अप कैम्प में पत्रावली पेश होने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 22.06.2016 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। मान0 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपील संख्चया 457/2016 उनवान जेठमल बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 16.03.2017 को निर्णय पारित कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपील इस न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि प्रार्थी/अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित करें।

प्रकरण/प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष के वकीलों की वहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम चाचियावास स्थित चौसाला खसरा संख्या 205 रकबा 38–05–00 बीघा जिसके वर्किंग खसरा संख्या 238, 271, 272 एवं 273 कुल रकबा 38–05–00 बीघा जिसमें से खसरा संख्या 238 रकबा 34–16–00 बीघा भूमि में से प्रार्थी के पिता स्व0 श्री मोहन पुत्र श्री भैरू का 10–00–00 बीघा भूमि पर लगभग 30 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थी का आज दिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। भू–संशोधन के पश्चात वर्किंग खसरा संख्या 238 के हाल खसरा संख्या 354, 353/2568,

350, 351, 353, 376/2452 एवं 374/2547 बने। कब्जा काश्त भूमि वर्किंग खसरा संख्या 238 के हाल खसरा संख्या 353 रकबा 3.05 है0 बने हैं एवं आराजी पर उनके द्वारा समय-समय तिल, बाजरा, मूंग, ज्वार आदि की फसल काश्त की जाती रही है। अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि बाबत प्रार्थी को अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नोटिस दिये गये हैं। प्रार्थी के पिता व प्रार्थी द्वारा लगान/जुर्माना भी भरा गया है, जिससे यह पूर्णतया सिद्ध है कि उनका काब्जा काश्त सम्वत 2047 से पूर्व लगभग 30 वर्षो से लगातार चला आ रहा है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी जमाबन्दी में चरागाह दर्ज कर दी गई है, जबकि जमाबन्दी के भूमि वर्गीकरण के कॉलम में बारानी 3 दर्ज है एवं उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज की आड़ में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने का नाजायज प्रयास किया जा रहा है। यदि अप्रार्थी को पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी अपने पूर्वजों की कब्जेशुदा भूमि से महरूम हो जायेगा एवं प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। वादकारण सर्वप्रथम प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल करने के प्रयास से वर्तमान में खड़ी ज्वार की फसल नष्ट करने के प्रयास से आज दिनांक तक लगातार जारी है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, वादग्रस्त भूमि को किसी अन्य को आवंटन/नियमन करने, भूमि की किस्म व शक्ल परिवर्तित करने से अप्रार्थी एवं उसके अधिकारी व कर्मचारीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से मूल वाद में पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। उन्हे जबाब प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। अप्रार्थी ने पत्र दिनांक 09.12.2024 से मूल वाद पत्रावली में जवाबदावा प्रस्तुत कर लिखित में निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चरागाह दर्ज रही है एवं वर्तमान में भी चरागाह दर्ज है जो कि काश्तकारी एवं अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग के सम्बन्ध में प्रतिबन्धित किस्म की आराजी है। प्रार्थी/वादी द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर फसल काश्त करने का कार्य नियमानुसार जुर्म की श्रेणी का कृत्य है एवं चरागाह मद की आराजी को हड़प करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/वादी के नाम गत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कभी कोई अंकन दर्ज नहीं रहा है एवं ना ही उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध है, जिसके आधार पर उसका दावा/प्रार्थना पत्र साबित हो सके। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विवादित आराजी चरागाह दर्ज होकर प्रतिबन्धित श्रेणी की आराजी है जिसका आवंटन/नियमन अथवा खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। विवादित आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में कभी दर्ज नहीं रही है एवं ना ही उन्होने ऐसा दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश किया है। जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के अनुसार भी विवादित आराजी चरागाह दर्ज है। प्रार्थी विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। प्रार्थी का विवादित आराजी पर वर्तमान में कोई हक/अधिकार व कब्जा काश्त नहीं है। जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अब जबकि वर्तमान में विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चरागाह दर्ज होने व प्रार्थी का अधिकार व कब्जा काश्त नहीं होने का तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष सिद्ध हो चुका है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति किस प्रकार हो रही है, यह साबित करने में असफल रहे हैं। जिससे अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप प्रार्थी का

प्रार्थना पत्र सावित नहीं होता है। प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सावित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 23.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर वाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय)
अजमेर